# न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

## पीठासीन अधिकारी – आलोक रंजन (आई.ए.एस.)

| प्रकरण संख्या | दायर दिनांक | निर्णय दिनांक |
|---|---|---|
| 070/2020(नि.पं.)<br>(पूर्व प्रकरण संख्या<br>005/2013(नि.पं.)<br>(GCMS 2020/00221) | 01.07.2020 | 30.05.2024 |

**अनवान**

भूरालाल पिता गोवर्धन जाति खटीक उम्र 40 साल निवासी सावा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।

**निगराकार**

**बनाम**

1. गेहरू पिता प्यारा जाति मेघवाल उम्र 65 साल निवासी रामदेव जी के मंदिर के पास, कन्नौज रोड, सावा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
2. ग्राम पंचायत सावा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत सावा पंचायत समिति व तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

**गैर निगराकारान**

| | | |
|---|---|---|
| उपस्थिति :– | दिनेश कुमार मौड | निगराकार |
| | ललित लढा | गैर–निगराकार संख्या 1 |
| | लोकेश गदिया | गैर–निगराकार संख्या 2 |

**निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा आदेश आबादी ग्राम पंचायत सावा पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ पट्टा संख्या 006075 कार्यालय पं.सं. चित्तौड़गढ़ के पत्र क्रमांक/4/93/327 दिनांक 23.08.1993**

## –:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि निगराकार ने एक निगरानी प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध गैर निगराकारान के विरूद्ध कार्यालय पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ के पत्र क्रमांक/4/93/327 दिनांक 23.08.1993 की पालना में अधीनस्थ ग्राम पचांयत सावा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा जारी पट्टा संख्या 006075 के संबंध में प्रस्तुत की गई है।

इस पर निगरानी को दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर निगराकारान को जरिये नोटिस के तलब किया गया एवं अधीनस्थ ग्राम पंचायत सावा से मूल अभिलेख तलब किया गया। दिनांक 08.10.2023 को गैर निगराकार संख्या 1 की और से उनके अधिवक्ता हाजिर आये एवं अधिकार पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली है। दिनांक 13.05.2014 को गैर–निगराकार संख्या 1 की और से जवाब पेश हुआ जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

विकास अधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा पत्रांक/पसचि/विधि/2017–18/11 दिनांक 10.04.2017 से अवगत कराया गया है कि पूर्व पत्रांक/पंसचि/पंचायत/2014/611 दिनांक 05.01.2015 से निगराधीन पट्टे संख्या 006075/28.03.1993 की प्रमाणित प्रति प्रेषित की गई है एवं पट्टे से संबंधित पत्रावली/रेकार्ड पंचायत में उपलब्ध नहीं है। विकास अधिकारी का पत्र शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। प्रकरण में विकास अधिकारी, पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ द्वारा उक्त निगराधीन पट्टे की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गई है जो कि शामिल पत्रावली है। दिनांक 21.11.2017 को प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारीज किया गया, जो कि न्यायालय हाजा के प्रकरण संख्या 022/2018 (रे0वि0) निर्णय दिनांक 03.03.2020 से मूल प्रकरण संख्या 005/2013(नि.प.) को पुनः सुनवाई हेतु नम्बर पर लिया जाकर कार्यवाही जैरकार है।

दिनांक 08.12.2021 को गैर–निगराकार की और से अधिवक्ता हाजिर आये। दिनांक 28.12.2021 को निगराकार की और से लिखित बहस पेश की गई जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा की गई मौखिक बहस पत्रावली को उभयपक्ष सुना गया।

सर्वप्रथम विद्वान अधिवक्ता निगराकार ने अपनी बहस पत्रावली में निगरानी मेमों में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत सावा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित पट्टा संख्या 006075 कार्यालय पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ के पत्र क्रमांक/4/93/327 दिनांक 23.08.1993 की पालना में जारी उक्त पट्टा न्याय नियम एवं वाकियाती तथ्यों के विपरित होने से निरस्त योग्य है। ग्राम पंचायत ने जिस भूखण्ड मय मकान का उक्त पट्टा विपक्षी संख्या 1 गैहरू के नाम का जारी किया उस भूखण्ड पर प्रार्थी/निगराकार ने आज से 20 साल पहले मकान बनाकर रह रहा उक्त पट्टा जिस व्यक्ति के नाम पर जारी हुआ उस व्यक्ति का कोई पता पट्टे पर लिखा हुआ नहीं है जिसके अभाव में कोई पट्टा किसी कानून के तहत जारी नहीं हो सकता है और यदि उपरोक्त तथ्यों के अभाव में कोई पट्टा जारी भी हो जाता है तो वह प्रभावहीन व शुन्य दस्तावेज माना जायेगा उस दस्तावेज का कोई औचित्य नहीं होता है ऐसा दस्तावेज या पट्टा विधि विरुद्ध ही होता है और विधि विरूद्ध कोई पट्टा या दस्तावेज कानून की निगाह में आते ही निरस्त फरमाया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

इस पर विद्वान अधिवक्ता गैर–निगराकार ने अपनी बहस में जवाब निगरानी में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि ग्राम पंचायत सावा द्वारा जो पट्टा जारी किया गया वह पूर्णतः विधि अनुरूप प्रक्रिया अपना कर जारी किया गया है। पट्टा विधि अनुरूप जारी किया गया होने से सही है एवं उसे निरस्त नहीं किया जा सकता है। ग्राम पंचायत सावा द्वारा पट्टा गैर निगराकार के नाम से जारी किया गया है एवं इस भूखण्ड पर गैर निगराकार द्वारा निर्माण करवाया गया है एवं भूखण्ड व मकान दोनों ही वर्तमान में गैर–निगराकार के एकल स्वामित्व के है। निगराकार मकान में गैर–निगराकार के किरायेदार की हैसियत से निवास कर रहा है एवं उसके मन में बदनियति आ जाने से मकान हडप करने की नियत से यह झूठी बेबुनियाद निगरानी न्यायालय आप में पेश की है जो निरस्त

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

किये जाने योग्य है। निगराकार का कोई स्वामित्व जैर निगरानी भूखण्ड पर निर्मित मकान पर नहीं है। ग्राम पंचायत सावा द्वारा जिस भूखण्ड का पट्टा विपक्षी गैर–निगराकार के नाम जारी किया गया है उस भूखण्ड पर प्रार्थी/निगराकार द्वारा 20 वर्ष से पहले से मकान बनाकर रह रहा हो और निगरानी में वर्णित भूखण्ड का पट्टा बिल्कुल फर्जी व गलत बना हुआ हो बल्कि भूखण्ड का पट्टा लगभग 20 वर्ष पूर्व जारी हुआ है एवं इस पर गैर निगराकार द्वारा मकान बनाया गया है तथा यह भूखण्ड व मकान गैर–निगराकार के स्वामित्व का है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा का भूखण्ड विलेख दिनांक 13.05.1993 को भूखण्ड विलेख क्रमांक 3 के अनुसार प्रशासक/ सचिव ग्राम पंचायत सावा व गैर निगराकार गेहरू पिता प्यारा मेघवाल के बीच में निष्पादित किया गया है जिसका अनुमोदन पंचायत समिति चित्तौडगढ के पत्र क्रमांक/4/93/327 दिनांक 23.08.1993 के द्वारा किये जाने के उपरांत पट्टे पर पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ के उक्त आदेश क्रमांक का अंकन किया जाकर पट्टा गैर निगराकार को दिया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं है तथा पट्टा विधि अनुरूप ही जारी किया गया है। भूखण्ड का पट्टा जारी करने से पूर्व गैर–निगराकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में इस भूखण्ड के आवंटन हेतु प्रार्थना–पत्र ग्राम पंचायत सावा में प्रस्तुत किया गया है जिसमें भूखण्ड की साईज एवं स्थान का अंकन किया गया है जिस पर ग्राम पंचायत सावा द्वारा जांच किये जाने के उपरांत गैर–निगराकार के अनुसूचित जाति का होने एवं उसके पास तत्समय ग्राम सावा में अपने निवास हेतु अन्य कोई आवास या मकान भूखण्ड नहीं होने के कारण यह भूखण्ड आबादी भूमि में निःशुल्क दिया गया है। इस प्रकार जैर निगरानी पट्टा गैर–निगराकार को ग्राम पंचायत सावा द्वारा सम्पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाई जाकर जारी किया गया है जो किसी भी दृष्टि से प्रभावहीन व शून्य दस्तावेज नहीं है एवं एक वैद्य दस्तावेज है जिसे निरस्त नहीं किया जा सकता है। पट्टे में वर्णित सारे तथ्य सही लिखे गये है। पट्टा विलेख निष्पादित होने की दिनांक स्पष्टतः इस पट्टे पर लिखी हुई है जो तथाकथित दिनांक 28.08.1993 दर्शाई गई है वह पट्टे पर कही भी अंकित नहीं है बल्कि पट्टे पर पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ के अनुमोदन आदेश की दिनांक 23.08.1993 का अंकन है जिसकी पालना में गैर निगराकार को पट्टा जारी किया गया है। पट्टा विलेख निष्पादित होना एक अलग तथ्य है तथा अनुमोदन के पश्चात पट्टा जारी होना पृथक है। पट्टा विलेख कभी भी निष्पादित किया जा सकता है किन्तु पट्टा अनुमोदन होने के पश्चात ही वैद्य दस्तावेज के रूप में प्रभावशील होता है। वर्तमान प्रकरण में गैर–निगराकार को जारी किया गया पट्टा पूर्ण रूप से विधि अनुरूप जारी किया गया है जो एक वैद्य दस्तावेज है जिसे निरस्त कराने का प्रार्थी को कोई अधिकार नहीं है। गैर–निगराकार को जो पट्टा जारी किया गया है उस पट्टे के आवंटन हेतु गैर निगराकार द्वारा जो प्रार्थना–पत्र ग्राम पंचायत सावा में निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है उसमें गैर–निगराकार द्वारा भूखण्ड की साईज व स्थान का अंकन किया गया है तथा ग्राम पंचायत सावा के तत्समय प्रशासक/सचिव द्वारा इस प्रार्थना–पत्र की पुष्ट पर प्रार्थना–पत्र की जांच समीक्षा में भूखण्ड का नाप, पडोस लिखा गया है एवं जैर निगरानी पट्टा इस प्रार्थना–पत्र व इसकी जांच के उपरांत ही विधिक प्रक्रिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपनाई जाकर गैर–निगराकार को जारी किया गया है तथा पट्टे के पडोस भी इसमें अंकित किये गये है जिससे मौके की स्थिति के बारे में भी स्पष्ट अंकन है। निगराकार के मन में बदनियति आ जाने से निगराकार द्वारा गैर–निगराकार के द्वारा निर्मित आवास को हडप करने की बदनियति से यह निगरानी निराधार पेश की है जो निरस्त होने योग्य है। पट्टा पूर्णतः वैद्य कानूनी प्रक्रिया अपनाकर जारी किया गया है। तत्समय ग्राम पंचायत सावा में सरपंच पद रिक्त होने से प्रशासक के रूप में कार्यभार तत्काली सचिव के पास ही था एवं कोई फर्जी हस्ताक्षर पट्टे पर नहीं है। पट्टा विधिक प्रकिया के अनुसार जारी किया गया जो वैद्य है एवं इसे निरस्त कराने का निगराकार को कोई अधिकार नहीं है। निगराकार द्वारा गैर–निगराकार से यह मकान किराये पर लिया गया था जिसे खाली कराने का गैर–निगराकार को पूर्ण अधिकार है। निगराकार की जानकारी में प्रारंभ से ही जैर निगरानी पट्टेवाला भूखण्ड व उस पर निर्मित आवासीय मकान गैर–निगराकार का होने का तथ्य है एवं गैर–निगराकार से ही निगराकार द्वारा यह मकान उसकी आवश्यकता होने के कारण कुछ समय के लिए किराये पर लिया गया है एवं अब उसे हडप करने की नियत से यह गलत व निराधार निगरानी न्यायालय आपमें प्रस्तुत की गई है जो निरस्त होने योग्य है। गैर–निगराकार पास ग्राम सावा में निवास हेतु तत्समय कोई आवासीय भूखण्ड या मकान नहीं होने के कारण गैर–निगराकार द्वारा ग्राम पंचायत सावा में निर्धारित प्रारूप में उसे भूखण्ड आवंटन करने हेतु एक प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया। भूखण्ड के ग्राम सावा की गढमगरी क्षेत्र में स्थित होने तथा भूखण्ड की साईज 30 बाई 45 वर्गफीट होना अंकित किया गया है। इस आवेदन के पृष्ठ भाग पर ग्राम पंचायत सावा के तत्समय प्रशासक द्वारा इस प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों की जाचं समीक्षा की गई और इस जांच रिपोर्ट के उपरांत ग्राम पंचायत सावा एवं विपक्षी गैर–निगराकार के मध्य एक आवासीय भूखण्ड विलेख इस भूखण्ड के बाबत भूखण्ड विलेख संख्या 3 पर दिनांक 13.05.1993 को निष्पादित किया गया है जिसका अनुमोदन पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ के पत्र क्रमांक/4/93/ 327 दिनांक 23.08.1993 के द्वारा किये जाने के उपरांत पट्टे पर पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ के उक्त आदेश क्रमांक का अंकन किया जाकर पट्टा गैर निगराकार को दिया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं है तथा पट्टा विधि अनुरूप ही जारी किया गया है। भूखण्ड आवंटन के पश्चात गैर–निगराकार द्वारा ग्राम पंचायत सावा से नियमानुसार नियत समय में निर्माण स्वीकृति प्राप्त कर एक आवासीय मकान का निर्माण कराया गया है जिसमें दो कमरे पट्टीपोश होकर उन पर गिट्टी की हुई है एवं उन कमरो का मुख्य दरवाजा उत्तर दिशा में है। आवासीय मकान का मुख्य प्रवेश द्वार पश्चिम दिशा में है इसमें एक ढालिया व एक कमरा केलुपोश भी निर्मित है। गैर–निगराकार के पुत्रों के बड़े हो जाने एवं उनके द्वारा पृथक निवास करने तथा गैर–निगराकार के अधिक उम्र होने से वृद्धावस्थाजन्य व्याधियों से ग्रसित होने से गैर–निगराकार द्वारा अपने पुत्रों के साथ रहने लग गया तथा निगराकार को आवासीय मकान की अचानक आवश्यकता हो जाने से निगराकार द्वारा गैर–निगराकार से यह मकान किराये पर लिया गया है। गैर–निगराकार द्वारा मकान खाली करने बाबत कहने पर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

गैर–निगराकार द्वारा मकान खाली नहीं किया गया है एवं अपने मन में खोट आ जाने से गैर–निगराकार द्वारा यह निराधार गलत व झूठी निगरानी विधिक प्रक्रिया का दुरूपयोग कर न्यायालय आपमें गैर–निगराकार के वैद्य रूप से जारी किये गये पट्टे को निरस्त कराने बाबत प्रस्तुत की गई है जो निरस्त होने योग्य है। निगराकार द्वारा निगरानी दीर्घ कालीन विलम्ब से लगभग 20 वर्षो के विलम्ब से प्रस्तुत की गई है जिससे निगरानी मियाद बाधित भी है, अन्त में प्रार्थना है कि निगराकार की निगरानी मय हर्जे खर्चे खारीज फरमाई जावें। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता गैर–निगराकार ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की। विद्वान अधिवक्ता गैर–निगराकार ने अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 2016(1)CT(Raj.) पेज संख्या 160 का अवलोकन कराया।

इस पर हाजिर अधिवक्ता गैर–निगराकार संख्या 2 ने अपनी बहस पत्रावली में अवगत कराया गया है कि ग्राम पंचायत सावा द्वारा नियमानुसार पट्टा जारी किया गया है, तथा प्रकरण को गुणावगुण पर निस्तारण किये जाने की ईल्तजा के साथ ही अपने अभिवचनों को विराम दिया।

इस पर बहस के रिवटल में विद्वान अधिवक्ता गैर–निगराकार ने बताया कि उक्त भूखण्ड का उपयोग–उपभोग निगराकार भूरा विगत 20 वर्षों से भी अधिक समय से कर रहा है इस बात को गैर निगराकार गेहरू ने भी स्वीकार किया है। पट्टा संख्या 006075 पर सबसे उपर हाथ से लिखा हुआ है कि ‘‘कार्यालय पंचायत समिति के पत्र क्रमांक/4/93 /327 दिनांक 23.08.1993 की पालनार्थ में जब पट्टा दिनांक 23.08.1993 की पालनार्थ में जारी होना बताया गया है तो पट्टा 3 माह पूर्व दिनांक 13.05.1993 को जारी केसे किया गया है पट्टा विधि विरूद्ध बनावटी व फर्जी होने से खारिज योग्य है। पट्टा संख्या 006075 पर ग्राम पंचायत की मिसल संख्या अंकित नही है तथाकथित पट्टे संबंधि कोई मिसल ग्राम पंचायत में नही है मिसल कायम ही नहीं हुई है इसलिए पट्टे पर कोई मिसल संख्या अंकित नही है जब मिसल संख्या अंकित नहीं है इससे स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत में उक्त पट्टे संबंधी कोई मिसल कायम नहीं हुई है। उक्त तथाकथित पट्टे में भूखण्ड की कोई साईज का अंकन नहीं है भूखण्ड की लम्बाई–चौड़ाई का आंकलन किसी भी तरह से किया जाना विधि अनुकुल सही नही है पट्टे में भूखण्ड संबंधी कोई लम्बाई–चौड़ाई का अंकन नही होने से पट्टा निरस्त योग्य है। गैर–निगराकार गेहरू द्वारा ऐसा कोई ग्राम पंचायत के रिकार्ड की या रजिस्टर की या ग्राम पंचायत के प्रस्तावों की अर्थात् कोरम की या बैठकों की कोई कार्यवाही या भूखण्ड संबंधी कोई रिकार्ड ग्राम पंचायत में दर्ज रजिस्टर्ड हुआ हो और ग्राम पंचायत द्वारा उस पर कोई कार्यवाही विधि अनुकुल की गई हो ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे यह प्रमाणित होता है कि उक्त तथाकथित पट्टे की कोई कानूनी प्रक्रिया पट्टे जारी करने संबंधी नहीं अपनाई गई है ना ही कोई रिकार्ड ग्राम पंचायत में है इसलिए उक्त पट्टा निरस्त योग्य है। न्यायालय द्वारा भी ग्राम पंचायत व पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ को लगातार उक्त पट्टे संबंधी रिकार्ड न्यायालय में पेश करने हेतु पत्र जारी किये लेकिन ना तो ग्राम पंचायत ने कोई रिकार्ड न्यायालय में प्रस्तुत किया है ना ही पंचायत समिति द्वारा कोई रिकार्ड

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। पंचायत समिति की ओर से विकास अधिकारी का जवाब जो प्रस्तुत हुआ है उसमें भी बताया गया है कि पट्टे संबंधी कोई रिकार्ड पंचायत उपलब्ध नहीं है। पट्टे संबंधी रिकार्ड नही होने बाबत् लिखा है। ग्राम पंचायत सावा व पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ के जवाब से यह स्पष्ट प्रमाणित है कि उक्त पट्टा संख्या 006075 के संबंधित कोई रिकार्ड सरकारी रिकार्ड ग्राम पंचायत सावा व पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ में उपलब्ध नही है इसलिए पट्टा निरस्त योग्य है। ग्राम पंचायत सावा द्वारा कब प्रशासक नियुक्त हुआ और प्रशासक के क्या अधिकार थे ऐसा कोई रिकार्ड किसी भी गैर निगराकार द्वारा प्रस्तुत नही किया गया है। उक्त पट्टा विधि विरुद्ध गलत व फर्जी होने से निरस्त योग्य है। अतः प्रार्थना है कि निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर पट्टा संख्या 006075 ग्राम पंचायत सावा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ जो कि गैर–निगराकार संख्या 1 गेहरू पिता प्यारा मेघवाल के पक्ष में जारी किया गया है उसे निरस्त फरमाया जावें। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की। हमने पत्रावली का बागौर आद्यौपांत अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त अभिलेख का परिशीलन किया। तथ्यों का मनन किया। पत्रावली वास्ते निर्णय रिजर्व की गई।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावली का गहना पूर्वक आद्यौपांत अवलोकन किया। निगराधीन पट्टा दिनांक 13.05.1993 राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953 के प्रावधानों के तहत जारी किया गया है। राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राजपत्र में अधिसूचना संख्या प. 2(2) विधि/2/94 दिनांक 23 अप्रैल, 1994 से राजस्थान राज्य में पंचायती राज अधिनियम 1994 लागू किया गया है। प्रकरण में तथ्यों का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। अधिनियम 1994 की धारा 124 से इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख को राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953 (1953 का राजस्थान अधिनियम 21) निरसित किया गया है। अधिनियम 1994 की धारा 124 की उप–धारा 1 (छ) में प्रावधित किया गया है कि निरसित अधिनियमों के अधीन प्रारम्भ की तारीख के ठीक पूर्व किसी विद्यमान पंचायती राज संस्था या किसी विद्यमान पंचायत राज संस्था के किसी भी प्राधिकारी के समक्ष लंबित समस्त कार्यवाहियॉ और विषय उत्तरवर्ती पंचायती राज संस्था या ऐसे प्राधिकारी के समक्ष संस्थित किये गये और लंबित हुए समझे जायेंगे जिसे उत्तरवर्ती पंचायती राज संस्था निर्दिष्ट करे। अतः निगराधीन पट्टा का पुनरीक्षण एवं पुनर्विलोकन वर्तमान में प्रभावी अधिनियम 1994 के तहत किया जा सकता है। हमने विधि का अवलोकन किया पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 97 का गहनता पूर्वक अध्ययन/परिशीलन किया।

**97. Power of revision and review by Government.-** (1) The State Government may, either of its own motion or on an application from any person interested, call for and examine the record of a Panchayati Raj Institution or of a Standing Committee or Sub-Committee thereof in respect of any proceedings to satisfy itself as to the correctness, legality or propriety of any decision or order passed therein or as to the regularity of such proceedings and, if in any case, it appears to the State Government that any such decision or order be modified, annulled, reversed or remitted for reconsideration, it may pass order accordingly:

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Provided that the State Government shall not pass any order prejudicial to any partyunless such party has a reasonable opportunity of being heard in the matter.
(2) The State Government may stay the execution of any such decision or order prejudical to any party, pending the exercise of its powers under sub-section (1) in respect thereof.
(3) The State Government may, of its own motion or on an application received from any reason interested, at any time within ninety days of the passing of an order under Subsec.
(1), review any such order if it was passed by it under any mistake, whether of fact or of law or in ignorance of any material fact. The provisions contained in the proviso to Sub-sec. (1) and in Sec. (2) shall apply to a proceeding under this sub-section.

राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अनुसार राज्य सरकार स्वप्रेरणा से या किसी हितबद्ध व्यक्ति के आवेदन पर किसी पंचायती राज संस्था या उसकी किसी समिति की किन्ही भी कार्यवाहियों के संबंध में निर्णय या आदेश के सही होने, उसकी विधिकता, औचित्य एवं नियमित होने की दृष्टि से अभिलेख मंगाने, परीक्षण करने एवं ऐसे आदेश/निर्णय/कार्यवाही प्रस्ताव को संशोधित करने, उलट दिये जाने, उपांतरित किये जाने या पुनः विचारार्थ प्रतिप्रेषित किये जाने की अधिकारिता रखती है। राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक एफ4(10)परावि/विधि/संशोधन/2004/3690 दिनांक 13.12.2004 के अनुसार उक्त धारा 97 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रत्यायोजन जिला कलक्टर को पुर्नस्थापित कर दिया गया है।निगराकार द्वारा हस्तगत निगरानी में विवादित पट्टे के संबंध में उसकी विधिकता/औचित्य के संबंध में प्रश्न उठाया गया है, ऐसी स्थिति में प्रकरण इस न्यायालय में पोषणीय पाया जाता है। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त अभिलेख की अवलोकन/परिशीलन किया। निगराधीन पट्टा संख्या 006075 दिनांक 13.05.1993 के अवलोकन से जाहिर आया है कि उक्त पट्टा आबादी भूमि का विक्रय विलेख होकर राजस्थान पंचायत नियम 1961 के नियम 266 के तहत जारी किया गया है। उक्त पट्टा अनुसूचित जाति व जनजाति कारीगरों, लघु सीमान्त कृषक को आबादी भूमि में से निःशुल्क आवासीय भूखण्ड आवंटित किया गया है।

हमने अधीनस्थ ग्राम पंचायत सावा द्वारा जारी पट्टा संख्या 006075 की छायाप्रति का गहनता से अध्ययन/ परिशीलन किया। ग्राम पंचायत द्वारा अपने पत्र में अवगत कराया गया है कि निगराधीन पट्टे के संबंध में अभिलेख/रिकार्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है। मूल मिसल के अभाव में पट्टा का गहनता पूर्वक परीक्षण किया जाना संभव नहीं है। मूल अभिलेख के अभाव में निगराधीन पट्टा जारी किये जाने के प्रक्रियात्मक तथ्यों का परीक्षण नहीं किया जा सकता है, जबकि निगराधीन पट्टे पर अंकित किया गया है कि कार्यालय पंचायत समिति के पत्र क्रमांक/4/93/327 दिनांक 23.08.1993 की पालनार्थ जारी किया गया।

निगराकार ने कथन किया है कि विकास अधिकारी द्वारा पत्र में कोई दस्तावेज होना नहीं स्वीकार है, इस से प्रतिवेदित नहीं होता है कि पट्टा फर्जी है, क्योंकि इन्ही दस्तावेजों में

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

विकास अधिकारी द्वारा इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि निगराधीन पट्टे की उपलब्ध कराई गई प्रति प्रमाणित प्रति है एवं प्रकरण में विकास अधिकारी द्वारा स्वयं पत्रांक/पंसचि/पंचायत/2014/611 दिनांक 05.01.2015 से प्रेषित की गई है। इसके साथ ही विकास अधिकारी पत्रांक/4/93/327 दिनांक 23.08.1993 के संबंध में किसी भी प्रकार को कोई कथन नहीं किया गया है। यह तथ्य सरपंच द्वारा उल्लेखित किया गया है। यह उल्लेख नहीं किया गया है कि इसी क्रमांक/स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति का नाम है अथवा पट्टा है, या न ही यह उल्लेखित किया गया है कि प्रस्तुत पट्टे के दस्तावेज फर्जी है। इसके साथ ही राजकीय रिकार्ड को सुरक्षित रखे जाने की जिम्मेदारी संबंधित ग्राम पंचायत है। इस संबंध में पत्रावली पर यह तथ्य उपलब्ध नहीं है कि ग्राम पंचायत में रिकार्ड उपलब्ध नहीं होने पर ग्राम पंचायत द्वारा क्या कार्यवाही की गई।

हस्तगत प्रकरण में उभयपक्षकारान द्वारा कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये है। 30 साल पूर्व के दस्तावेज की अनुपलब्धता से यह सिद्ध नहीं हो जाता है कि जारी किये गये पट्टे में प्रक्रियात्मक रूप से कोई त्रुटि थी एवं यह पट्टा फर्जी है। न्यायालय संभावना के आधार नहीं अपितु साक्ष्य के आधार पर निर्णय करता है। हस्तगत प्रकरण निगराकार द्वारा प्रस्तुत किया गया है जिसमे प्रकरण को साबित कराये जाने हतु पर्याप्त समय एवं सुनवाई हेतु दीर्घकालीन अवधि(लगभग 10 वर्ष) का अवसर प्राप्त होने के बावजूद अपने पक्ष में समुचित दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहा है जिससे निगराधीन पट्टे की प्रक्रियात्मक त्रुटि साबित कराई जा सके।

विवादाग्रस्त मकान किसने बनाया है। इस तथ्य का हस्तगत निगरानी से किसी भी प्रकार से कोई सीधा संबंध नहीं है फिर भी इस संबंध में प्रकरण में निगराकार द्वारा कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है, जबकि गैर–निगराकार द्वारा इस तथ्य को स्वीकार किया गया है कि उसने निगराकार को किराये पर दिया है। बिना ठोस दस्तावेजी साक्ष्य की उपलब्धता के बिना इस संबंध में कोई भी कथन किया जाना उचित नहीं है।

प्रार्थी/निगराकार द्वारा हस्तगत निगरानी लगभग 20 वर्षो के दीर्घ कालीन विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। अधिनियम 1994 की धारा 97 में समायावधि का उल्लेख नहीं किया गया है, किन्तु जैसा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी. सिविल रिट 13197/2015 द्वारा प्रतिपादित किया गया है कि अधिनियम में परिसीमा हेतु प्रावधान नहीं है–असामान्य विलम्ब–निगरानी ग्रहण नहीं की जा सकती। माननीय न्यायालय द्वारा उल्लेखित किया गया **"Delay defeat equity"** जिसका अर्थ है कि **"equity favours a the vigilant rather than indolent letigent and this being tha basic tenet of law"** न्यायसंगतता अकर्मण्य की अपेक्षा सतर्कता का पक्षधर है और यही कानून का मूल सिद्धांत है। निगराधीन पट्टा पंचायती राज अधिनियम 1994 से पूर्व जारी किया गया। इसके अतिरिक्त निगराकार ने सन् 1993 में पट्टा जारी होने के पश्चात् सन् 2013 में निगरानी प्रस्तुत की है जो कि पट्टा जारी होने के 20 वर्ष पश्चात् प्रस्तुत की गई है। यद्यपि निगरानी हेतु कोई म्याद निर्धारित नहीं है फिर भी इतने अधिक विलम्ब 20 वर्ष के पश्चात् निगरानी प्रस्तुत की है तथा उक्त निगरानी प्रस्तुत करने में

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हुए विलम्ब हेतु कोई पर्याप्त कारण/स्पष्टीकरण भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। निगरानी प्रस्तुत करने में हुए इस असामान्य विलम्ब को किसी भी प्रकार से न्याय संगत नहीं ठहराया जा सकता। प्रकरण में 30 वर्ष की अवधि में कोई जांच या विधिक कार्यवाही या फर्जी होने के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट इत्यादि के संबंध में कोई ठोस दस्तावेजी/कार्यवाही निगराकार की और से पत्रावली पर उपलब्ध नहीं कराई गई है।

हस्तगत प्रकरण में उभयपक्षकारान द्वारा किये गये अभिवचनों को प्रमाणित किये जाने हेतु समुचित दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं कराये गये है, इसके साथ ही उभयपक्षकारान द्वारा इस तथ्य को स्वीकार किया गया है कि विवादित भूखण्ड के संबंध में गैर–निगराकार के नाम पर पट्टा जारी है, जिसकी प्रमाणित प्रति विकास अधिकारी, चित्तौड़गढ़ अपने पत्रांक से न्यायायल को उपलब्ध कराई है जो कि रिकार्ड पर होकर पत्रावली के हम किता है, जिससे सुविधा का संतुलन गैर–निगराकार के पक्ष में प्रतीत होता है, इसके साथ ही निगराकार अपना आवेदन पूर्ण रूप से न्यायालय के समक्ष साबित कराये जाने में असफल रहे है। इसके साथ ही यहां उल्लेखनीय है कि प्रकरण न्यायालय में विगत 10 वर्षो से अधिक समय से विचाराधीन होकर लंबित रहा है। इस अवधि में एक बार प्रकरण निगराकार की अनुपस्थिति (व्यतिक्रम) में भी खारीज किया जा चुका है, बावजूद इसके प्रकरण दिनांक 01.07.2020 से प्रकरण वास्ते अंतिम बहस हेतु नियत रहा है, किन्तु निगराकार की और से कोई नया तथ्य/ठोस दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे निगराकार की निगरानी गुणावगुण पर सारहीन होकर बलहीन होना पाई गई है।

उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर निगराकार अपनी निगरानी साबित कराये जाने में पूर्ण रूप से असफल रहे है जिससे निगराकार की निगरानी सारहीन एवं बलहीन होने से खारीज की जाती है। निर्णय की प्रति ग्राम विकास अधिकारी सावा एवं विकास अधिकारी चित्तौड़गढ़ के सूचनार्थ एवं पालनार्थ भिजवाई जावे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख भिजवाया जावे। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **30.05.2024** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official